न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 91 वर्ष 2024

भरतलाल बनाम गिर्राज वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
22.10.2024	मूल वाद के साथ श्री नरेन्द्र कुमार जाट एड0 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वकील की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्षीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 495, 496, 288 वाके ग्राम तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक में आगामी तारीख पेशी तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजि. ऐडी की जाकर पत्रावली दिनांक 11/11/24 को पेश हो।	4967-4984 23/10/24
11/11/24	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली वास्ते ... दिनांक 21/11/24 पेश हो।	
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रक्रिया हेतु 17/3/25 को पेश हो।	
28/2/25	मूलवाद में प्रार्थना-पत्र बाबत पत्रावली तलब करमाये जाने के बाद पत्र नोट-प्रेस में खारिज किये जाने का पेश होने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील हाजिर। प्रार्थी व प्रार्थी वकील के हस्ताक्षर करवाये गये। ~~प्रार्थी वकील~~ चूंकि वाद नोट-प्रेस में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा चलने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम किया जाकर शामिल मूलवाद हो।	Not Press मुंसरिम